न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 54/2021 (निगरानी)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2021/262

उनवान

1– राजस्थान सरकार जर्ये पंचायत समिति इटावा जिला कोटा जर्ये विकास अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

– निगराकार

बनाम

1– ग्राम पंचायत इटावा जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा (राज0)
2– श्रीमति चन्द्रकलां पुत्र जोधराज मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

–गैरनिगराकार

उपस्थित :– 1. राजकीय पेरोकार (निगराकार)

ग्राम पंचायत इटावा के आदेश एवं पट्टा संख्या 10768 दिनांक 27.10.2007 तत्कालीन सरंपच के द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने बाबत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज0 अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक : 5/12/25

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक यह निगरानी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि गैर निगराकार क्रम 1 द्वारा दिनांक 27.10.2007 पारित आदेश एंव पट्टा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव कानून के समुचित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गेर–निगराकार क्रम 1 व क्रम 2 बाद सूचना अनुपस्थित है। गैर निगराकार क्रम 1 व 2 एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निगराकार की ओर से राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

.. निगराकार की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार का बहस में कथन है कि गैरनिगराकार क्रम 1 द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ गैरनिगराकार क्रम 2 से मिलीभगत करके सर्वथा नियम व कानून के विपरीत जाकर पट्टा जारी कर दिया है, जो पूर्णतया शून्य है, निरस्तनीय है। गैरनिगराकार क्रम 1 द्वारा विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत का अधिकार मानते हुऐ पट्टा जारी करने में भूल की है, जबकि ग्राम पंचायत का अधिकार न होते हुए भी ग्राम पंचायत ने अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया। तहसीलदार द्धारा प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट में भी पट्टा आवासीय आराजीयात जारी करना बताया गया जिसका ख0न0 **1046/2828** है, जिसको गैर निगराकार क्रम 1 ने राज्य सरकार के नियमो के विरूद्ध जाकर मनमर्जी से ख0न0 **1046/2828** का पट्टा जारी किया जो अवैध एवं शून्य है, इस से राजस्व हानि हुई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान पट्टा अभियान 2007 के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक झोपडी का कच्चा मकान आबादी भूमि का निर्माण कर लिया है उन्हे 300 वर्गगज तक का भूखण्ड का निशुल्क पट्टा महिला मुखिया के नाम जारी किया जाना था। जो कि गैर निगराकार क्रम 1 द्धारा नियमो कि पूर्णतया अवहेलना की जाकर उक्त आवासीय आराजीयात ख0न0 **1046/2828** का पट्टा जारी कर दिया गया है, जबकि वर्तमान में उक्त खसरा न0 की भूमि पर वाणिज्य एवं व्यवसायिक उपयोग व प्राइवेट स्कूल आदि संचालित है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार पीपल्दा द्धारा करायी गई जाचं में उक्त पट्टा ख0न0 **1046/2828** में होकर बनाये गये जबकि वर्तमान में उक्त पट्टा की भूमि (आवासीय) स्कूल/ मेन रोड/ वाणिज्य मकानो का पट्टा आवासीय बनाया गया। जो कानून नियम विरूद्ध है। दिनांक 1.06.2010 के पत्र क्रमांक सतर्कता (बैठक) –10/2134/47 कार्यालय जिला कलेक्टर द्धारा जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक 28.05.2010 के पारित आदेश निर्णयनुसार प्रकरणो में कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार क्रम 1द्वारा गैरनिगराकार नं0 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या **10768** दिनांक 27.10.2007 निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो का परीक्षण किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन करने पर हम पाते है कि गैर निगराकार न01 ग्राम पंचायत इटावा द्धारा तत्समय गैर निगराकार न2 को पट्टा **10768** दिनांक 27.10.2007 जारी किया गया था। जिसकी अधिकारिता गैर निगराकार न01 ग्राम पंचायत इटावा को नहीं थी। क्योकि उक्त भूमि ख0न0 **1046/2828** रकबा 0.400 है0 किस्म गै0मु0 आबादी राजकीय भूमि होकर जमाबंदी सम्वत 2062–2065 मे महावीर प्रसाद पुत्र सुरजमल जाति महाजन नि. दादाबाडी कोटा के नामं दर्ज थी । इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत इटावा द्धारा ,खाते

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

की भूमि पर पट्टा दिनांक 27.10.2007 को जारी किया गया जो विधि अनुरूप नहीं था। चूकि अब ग्राम पंचायत इटावा के स्थान पर नगरपालिका इटावा बन चुकी है एवं प्रश्नगत भूमि ख0न0 **1046/2828** रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बारानी नगरपालिका इटावा को स्थान्तरित होकर नगर पालिका इटावा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे अब उक्त विवादित भूमि के पट्टे से ग्राम पंचायत का कोई सरोकार नहीं है। चूंकि उक्त भूमि का स्वामित्व नगरपालिका इटावा के पास होने से गुणावगुण के आधार पर नगर पालिका इटावा ही निर्णय ले सकती है।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे निगराकार विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निगरानी,शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र अ0धारा 5 लिमिटेशन एक्ट, इत्याद्वि पर हस्ताक्षर नही है जिससे यह भी स्पष्ट नही है कि उक्त निगरानी,निगराकार विकास अधिकारी द्वारा ही प्रस्तुत की गई है अथवा नही चूकि उक्त निगरानी जिस पट्टे को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत की गई है वह भूमि वर्तमान में नगर पालिका क्षैत्र में स्थित है। नगर पालिका क्षैत्र में स्थित पट्टे की सुनवाई इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही होने से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक .....5/12/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा